विशेष विवरण

<u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट शाहपुरा, जिला जयपुर ग्रामीण</u>

पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार (आर.ए.एस.)

वाद संख्या :– 39/2022

उनवान

1. भैरू पुत्र भौरिया, जाति गुर्जर, निवासी माधोकाबास, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

– वादी

बनाम

1. हनुमान सहाय पुत्र भौरया
2. दौलतराम पुत्र हनुमान सहाय
   समस्त जाति गुर्जर, निवासी माधोकाबास, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।
4. उपपंजीयक, पंजीयन कार्यालय–शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

– प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता :–

1. श्री राकेश मोहन शर्मा, वादी
2. श्री राजेन्द्र यादव, प्रतिवादी

<u>वाद पत्र बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट.–1955</u>

निर्णय दिनांक :– 07/03/24

प्रस्तुत वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि हाल आराजी खसरा नंबर 887/0.05, 888/0.10 कुल किता 2 कुल रकबा 0.15 है0 खाता संख्या नया 159 वाकै ग्राम माधोकाबास, पटवार हल्का देवन बी, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर में स्थित है, जिसकी जमाबन्दी के मुताबिक 1/3 भाग की खातेदारी वादी, 1/3 भाग की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 व 1/3 भाग की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 2 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।_इस प्रकार मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड के वादी आराजी मुतनाजा के 1/3 भाग का खातेदार काश्तकार है। हाल आराजी खसरा नंबर 1032/859/0.0188, 1034/860/0.2010, 1036/881/0.2071, 1038/883/0.0126, 1040/884/0.0377, 1042/885/0.0586, 1044/886/0.4606, 852/0.45, 853/0.30, 854/0.60, 855/0.42, 856/0.11, 857/0.09, 858/0.10, 861/0.34, 862/0.36, 863/0.29, 863/2865/0.16, 864/0.39, 865/0.11, 882/0.

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला–जयपुर (राज.)

08, 889/0.32 कुल किता 22 रकबा 5.1164 है0 खात संख्या नया 83 वाकै ग्राम माधोकाबास, पटवार हल्का देवन बी, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर में स्थित है, जिसकी जमाबंदी सं0 2074–2077 के मुताबिक 1/3 भाग की खातेदारी वादी , 1/3 भाग की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 व 1/3 भाग की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 2 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, इस प्रकार मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड के वादी, आराजी मुतनाजा के 1/3 भाग का खातेदर काश्तकार है।

यह कि वाद पत्र में वर्णित सजरा खानदान के अनुसार भौरिया के तीन पुत्र हुये जो कि वादी, प्रतिवादी संख्या 1 व तीसरा पुत्र जगदीश है जो कि कुंवारा नाऔलाद हैं। जगदीश पुत्र भौरिया जो कि नाऔलाद है की सेवा, सुश्रुषा, रहना, खाना, व अन्य सभी की देखभाल आदि व्यवस्था वादी व वादी के भाई प्रतिवादी संख्या 1 करते आ रहे है एवं जगदीश के हिस्से की भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 दोनों 1/2, 1/2 भाग पर आपसी रूप से बिना किसी विधिक बंटवारे के कब्जे काश्त करते हुये चले आ रहे है एवं आज वर्तमान में वाद पत्र में वर्णित आराजी भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 1/2 व 1/2 हिस्से पर शांति पूर्वक काबिज रहकर काश्त करते हुये चले आ रहे है। प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 जो कि प्रतिवादी सं0 1 का पुत्र है के मन में बदनियति उत्पन्न हो गई है जिसके चलते दिनांक 28.01.2022 को वाद पत्र में वर्णित भूमि में जो 1/3 भाग वादी व प्रतिवादी सं0 1 के भाई जगदीश के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज भूमि को जगदीश को बहला फुसलाकर तथा वादी को नुकसान पहुंचाने की गरज से व बिना किसी प्रतिफल के एक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 के नाम करवा लिया है एवं इस विक्रय पत्र का पंजीयन उपपंजीयक कार्यालय–शाहपुरा में करवा लिया है। चूंकि यह आराजी भूमि का विक्रय पत्र बिना किसी लेनदेन एवं प्रतिफल के किया है मात्र एक नुमाईशी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र है, जो कि शुरू से ही अवैध एवं शून्य है। इस विक्रय पत्र के द्वारा मात्र वादी के कब्जे काश्त की भूमि जो कि उसे उसके भाई जगदीश के हिस्से से प्राप्त हुई है, को हड़पने एवं वादी को उक्त आराजीयात से बेदखल करने के लिए बिना किसी प्रतिफल के रजिस्टर्ड करवाया है, जो कि किसी भी तरह से कानून की पूर्ति नहीं करता है एवं अवैध व अमान्य है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर प्रतिवादी संख्या 2 का कोई कब्जा काश्त आराजी पर अभी तक नहीं हुआ है। सम्पूर्ण आराजी में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ही बिना किसी विधिक बंटवारे के आपसी सहमति से मनबट से समान रूप से काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है।

उक्त वाद पत्र में वर्णित आराजी भूमि में जो खसरा नंबर 885 है, उसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के मकानात वगै0 बने हुये है एवं मकान में खेत आदि पर जाने

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला–जयपुर (राज.)

हेतु रास्ता बना हुआ है, पर भी प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने बिना कानूनी बंटवारा कराये रास्ते पर अर्सा–20 दिन पहले कब्जा करना शुरू कर दिया व वादी व उसके परिवारजन के आने जाने में रूकावट पैदा करने लगे जिस पर जब वादी द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को यह समझाया गया कि पहले वाद पत्र में वर्णित आराजी मुतनाजा पर सभी खातेदारान के मध्य विधिक बंटवारा कर लेते है एवं फिर बंटवारे के मुताबिक सभी खातेदारान अपनी अपनी हिस्से की भूमि का उपयोग उपभोग करने का स्वतंत्र होंगे। अभी चूंकि भूमि आराजीयात का कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है ऐसी स्थिति में वादी का आराजी मुतनाजा के प्रत्येक इंच पर कानूनी अधिकार है एवं उपयोग उपभोग में लेने को स्वतंत्र है। इस पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 एकदम से नाराज हो गये एवं एलांनिया धमकी दी कि हम तो हमारी पसन्द से बिना किसी विधिक बंटवारे के आराजी मुतनाजा का उपयोग उपभोग करेंगे एवं वादी एवं उसके परिवारजनों को वर्णित रास्ते का उपयोग उपभोग भी नहीं करने देंगे एवं मकानात आगे कोई भी भूमि नहीं देंगे एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 जबरन आराजी में अपनी दादागिरी एवं लठ के बल पर एक नये बोरिंग का निर्माण करना चाह रहे है। वादी ने जब प्रतिवादी सं0 1 को बोरिंग शामिल में ही करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादी सख्या 1 व 2 ने एलानियां धमकी दी कि हम तो नया बोरिंग बनायेंगे परन्तु तुम्हे नहीं बनाने देंगे।

वाद पत्र में वर्णित आराजी मुतनाजा जो खसरा नंबर 859 है, उसमें एक पुराना बोरिंग बना हुआ है जो कि अब सुख गया है। अब वादी अपने अधिकार की भूमि में नया बोरिंग लगाना चाह रहा है, किन्तु प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 वादी को नया बोरिंग नहीं लगाने दे रहे है। वादी द्वारा बार–बार निवेदन करने पर भी प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 द्वारा वादी को खेती काश्त आदि के उपयोग हेतु बोरिंग नहीं लगाने दे रहे है, अभी चूंकि भूमि आराजीयात का किसी भी प्रकार का कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है ऐसी स्थिति में वादी का आराजी मुतनाजा के प्रत्येक इंच पर कानूनी अधिकार है एवं उपयोग उपभोग में लेने को स्वतंत्र है एवं वह यह अधिकार रखता है कि आराजी भूमि पर अपने सुविधा एवं उपयोग उपभोग के लिये नये बोरिंग का निर्माण करे अब चूंकि प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 के साथ शामिल में रहकर खातेदार काश्तकार संभव नहीं रहा है एवं ऐसी स्थिति में वादी को न्यायालय श्रीमान के समक्ष वाद प्रस्तुत कब्जा लाजमी हुआ है।

अन्त में निवेदन किया कि वाद पत्र मे वर्णित आराजीयात एवं लगान का कानूनन विधिक बंटवारा किया जाकर बाद बंटवारा पृथक पृथक राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। डिक्रि स्थायी निषेधाज्ञा बहक वादी बखिलाफ प्रतिवादी इस अमर

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला–जयपुर (राज.)

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी

की पारित की जाये की प्रतिवादीगण वादी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा व मजाहमत उत्पन्न नहीं करे एवं वादी को अपनी खातेदारी भूमि पर पूर्व की तरह शांति पूर्वक रहकर काश्त करने देवं।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव ने वकालतनामा पेश कर जवाब दावा पेश किया। प्रतिवादीण संख्या 3 व 4 की ओर से बावजूद तामिल कोई उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्ध दिनांक 31.08.2022 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील वादी ने विवाद्यक बिन्दू कायम किये जाने का प्रार्थना–पेश किया। उक्त प्रार्थना–पत्र पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई एवं दिनांक 13.01.2023 को वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन व पत्रावली के अवलोकन उपरांत प्रार्थना–पत्र बाबत् विवाद्यक बिन्दू कायम किये जाने का प्रार्थना – पत्र खारिज किया जाकर प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार तहसील शाहपुरा को बंटवारा/कुर्रेजात रिपोर्ट भिजवाने बाबत् आदेशित किया गया। प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा के पत्रांक/भू0अ0/2023/563 दिनांक 14.02.2023 के द्वारा बंटवारा/कुर्रेजात रिपोर्ट हुई। प्रकरण मे वकील वादी द्वारा प्रार्थना–पत्र बाबत् आपत्ति कुर्रेजात रिपोर्ट पेश किया। उक्त प्रार्थना–पत्र के संबंध में वकील प्रतिवादी द्वारा जवाब आपत्ति कुर्रेजात रिपोर्ट पेश किया। उक्त प्रार्थना–पत्र बाबत् आपत्ति कुर्रेजात रिपोर्ट पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन एवं अवलोकन उपरांत पत्रावली व कुर्रेजात रिपोर्ट, प्रार्थना–पत्र बाबत् आपत्ति कुर्रेजात रिपोर्ट सारहीन होने से खारिज कर प्रकरण में कुर्रेजात रिपोर्ट सही प्रतीत होने से दावा अन्तिम डिक्री किया जाना उचित समझते हैं।

आदेश

अतः उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप दावा तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है कि ग्राम माधोकाबास, पटवार हल्का देवन बी, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर के आराजी खसरा नंबर 887/0.05, 888/0.10 कुल किता 2 कुल रकबा 0.15 है0 एवं आराजी खसरा नंबर 1032/859/0.0188, 1034/860/0.2010, 1036/881/0.2071, 1038/883/0.0126, 1040/884/0.0377, 1042/885/0.0586, 1044/886/0.4606, 852/0.45, 853/0.30, 854/0.60, 855/0.42, 856/0.11, 857/0.09, 858/0.10, 861/0.34, 862/0.36, 863/0.29, 863/2865/0.16, 864/0.39, 865/0.11, 882/0.08, 889/0.32 कुल किता 22 रकबा 5.1164 है0 भूमि का पक्षकारान् के मध्य निम्नानुसार बंटवारा किया जाता है :–

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला–जयपुर (राज.)

1. दौलतराम मनकस पुत्र हनुमान सहाय गुर्जर सा0 देह खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 851/1/0.2224, 853/0.30, 1034/860/2/0.1990, 861/2/0.3350, 1036/881/0.2071, 882/0.08, 1038/883/0.0128, 1044/886/4/0.1131, 1040/884/1/0.0260, 888/2/0.0547, 889/3/0.1889 है0 भूमि रहेगी।
2. हनुमान पुत्र भौरिया गुर्जर सा0 देह खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 855/0.42, 856/0.11, 857/0.09, 858/0.10, 863/2865/0.16, 864/0.39, 865/0.11, 1042/885/1/0.0328, 1044/886/1/0.1038, 1044/886/2/0.1075, 889/1/0.1148 कुल किता 11 कुल रकबा 1.7389 है0 भूमि रहेगी।
3. भैरू पुत्र भौरिया गुर्जर सा0 देह खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 854/0.6000, 862/0.3600, 863/2/0.2660, 887/0.0500, 888/1/0.0453, 852/2/0.2276, 1042/885/2/0.0258, 1044/886/3/0.1362, 889/2/0.0163, 1040/884/2/0.0117 कुल किता 10 कुल रकबा 1.7389 है0 भूमि रहेगी।
4. आराजी खसरा नंबर 863/1/0.0240, 1032/859/0.0188, 861/1/0.0050, 1034/860/1/0.0020 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.0498 है0 भूमि शामलात में रहेगी।

प्रकरण में तहसीलदार तहसील शाहपुरा से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। साथ ही पक्षकारान् वादी व प्रतिवादीगण को हमेशा हमेशा के लिए जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक–दूसरे के हिस्से में आई भूमि में किसी भी प्रकार की मजाहमत पैदा नहीं करें। हर्जा खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस में तरमीम करने के लिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार शाहपुरा को तहरीर जारी हो। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 07/03/24 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा, जिला जयपुर ग्रामीण

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट शाहपुरा, जिला जयपुर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार (आर.ए.एस.)

वाद संख्या :– 39/2022

उनवान

1. भैरू पुत्र भौरिया, जाति गुर्जर, निवासी माधोकाबास, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

–वादी

बनाम

1. हनुमान सहाय पुत्र भौरया
2. दौलतराम पुत्र हनुमानसहाय
   समस्त जाति गुर्जर, निवासी माधोकाबास, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।
4. उपपंजीयक, पंजीयन कार्यालय–शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

–प्रतिवादीगण

उपस्थितअधिवक्ता :–

1. श्री राकेश मोहन शर्मा, वादी
2. श्री राजेन्द्र यादव, प्रतिवादी

वाद पत्र बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट.–1955

निर्णय दिनांक :– 07/03/24

उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप दावा तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है कि ग्राम माधोकाबास, पटवार हल्का देवन बी, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर के आराजी खसरा नंबर 887/0.05, 888/0.10 कुल किता 2 कुल रकबा 0.15 है0 एवं आराजी खसरा नंबर 1032/859/0.0188, 1034/860/0.2010, 1036/881/0.2071, 1038/883/0.0126, 1040/884/0.0377, 1042/885/0.0586, 1044/886/0.4606, 852/0.45, 853/0.30, 854/0.60, 855/0.42, 856/0.11, 857/0.09, 858/0.10, 861/0.34, 862/0.36, 863/0.29, 863/2865/0.16, 864/0.39, 865/0.11, 882/0.08, 889/0.32 कुल किता 22 रकबा 5.1164 है0 भूमि का पक्षकारान् के मध्य निम्नानुसार बंटवारा किया जाता है :–

1. दौलतराम मनकस पुत्र हनुमान सहाय गुर्जर सा0 देह खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 851/1/0.2224, 853/0.30, 1034/860/2/0.1990, 861/2/0.3350, 1036/881/0.2071, 882/0.08, 1038/883/0.0126, 1044/886/4/0.1131, 1040/884/1/0.0260, 888/2/0.0547, 889/3/0.1889 है0 भूमि रहेगी।

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला–जयपुर (राज.)

2. हनुमान पुत्र भौरिया गुर्जर सा0 देह खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 855/0.42, 856/0.11, 857/0.09, 858/0.10, 863/2865/0.16, 864/0.39, 865/0.11, 1042/885/1/0.0328, 1044/886/1/0.1036, 1044/886/2/0.1075, 889/1/0.1148 कुल किता 11 कुल रकबा 1.7389 है0 भूमि रहेगी।

3. भैरू पुत्र भौरिया गुर्जर सा0 देह खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 854/0.6000, 862/0.3600, 863/2/0.2660, 887/0.0500, 888/1/0.0453, 852/2/0.2276, 1042/885/2/0.0258, 1044/886/3/0.1362, 889/2/0.0163, 1040/884/2/0.0117 कुल किता 10 कुल रकबा 1.7389 है0 भूमि रहेगी।

4. आराजी खसरा नंबर 863/1/0.0240, 1032/859/0.0188, 861/1/0.0050, 1034/860/1/0.0020 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.0498 है0 भूमि शामलात में रहेगी।

प्रकरण में तहसीलदार तहसील शाहपुरा से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। साथ ही पक्षकारान् वादी व प्रतिवादीगण को हमेशा हमेशा के लिए जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक–दूसरे के हिस्से में आई भूमि में किसी भी प्रकार की मजाहमत पैदा नहीं करें। हर्जा खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस में तरमीम करने के लिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार शाहपुरा को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय व डिक्री आज दिनांक 07/03/24 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से जारी की गई।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा, जिला जयपुर (ग्रामीण)

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामील		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला–जयपुर (राज.)